भाग- I

विधायी विभाग

अधिसूचना

8 जून, 2001

संख्या लैज. 6/2001.— दि हरियाणा मुर्राह बफैलो एण्ड अदर मिल्च ऐनिमल ब्रीड- (प्रेजर्वेशन एण्ड डिवेलपमैन्ट ऑफ ऐनिमल हजबैनड्रि एण्ड डेरी डिवेलपमैन्ट सैक्टर) एक्ट, 2001, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की तिथि 5 जून, 2001, की स्वीकृति के अधीन एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जायेगा :—

2001 का हरियाणा अधिनियम संख्या 6

हरियाणा मुर्राह भैंस तथा अन्य दुधारू पशु नस्ल (पशु पालन तथा डेरी विकास क्षेत्र का परिरक्षण तथा परिवर्धन) अधिनियम, 2001

दुधारू पशु विशेष रूप से प्रमुख नस्ल "मुर्राह" और स्थानीय नस्लें जैसे "साहिवाल" तथा "हरियाना" के आनुवंशिकी स्टाक के सुधार के लिए, दुग्ध उद्योग में कौशल और प्रौद्योगिकी के सुधार हेतु तथा पशु पालन तथा डेरी विकास क्षेत्र के परिवर्धन के लिए कदम उठाने हेतु तथा इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के गठन का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा मुर्राह भैंस तथा अन्य दुधारू पशु नस्ल (पशुपालन तथा डेरी विकास क्षेत्र का परिरक्षण तथा परिवर्धन) अधिनियम, 2001, कहा जा सकता है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तिथि से लागू होगा जिसे सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे तथा विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न तिथियां नियत की जा सकती हैं।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) **"पशु"** में शामिल है कोई हेफर;

(ख) **"बोर्ड"** से अभिप्राय है, इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन गठित हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड;

(ग) **"अभिरक्षक"** से अभिप्राय है, व्यक्ति जिसके पास पशु अधिपत्य है और इसमें परेषिती/स्वामी तथा पशु के साथ आने वाला उसका प्रतिनिधि शामिल है। यदि पशु सार्वजनिक परिवहन से ले जाया जा रहा है, तो इसमें चालक तथा कंडक्टर भी शामिल होंगे;

(घ) **"निर्यात"** से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सीमाओं से बाहर भारत में किसी स्थान पर ले जाना;

(ङ) **"निधि"** से अभिप्राय है, बोर्ड की निधि;

(च) **"सरकार"** से अभिप्राय है, पशु पालन/डेरी विकास विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;

(छ) **"अनुज्ञप्त क्षमता"** से अभिप्राय है, दुग्ध के सन्दर्भ में अधिकतम उत्पादन क्षमता, जिसके लिए, केन्द्रीय सरकार के दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992, के अधीन इकाई पंजीकृत है;

(ज) **"दुग्ध प्लांट"** से अभिप्राय है, किसी व्यक्ति, उपक्रम, संस्थापन या इकाई के स्वामित्वाधीन दुग्ध प्लांट, जो कि केन्द्रीय सरकार के दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992, के अधीन पंजीकृत है और हरियाणा राज्य की सीमाओं के भीतर क्रियाशील है; तथा

(झ) **"विहित"** से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित।

अधिनियम का लागूकरण।

3. यह अधिनियम निम्नलिखित को लागू होगा—

(i) पशुओं की मुर्राह भैंस नस्ल;

(ii) ऐसी अन्य पशु नस्ल जो सरकार अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे; तथा

(iii) दुग्ध प्लांट।

बोर्ड का गठन तथा उनकी शक्तियां तथा कृत्य।

4. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसी तिथि से, जो सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, एक बोर्ड गठित किया जाएगा, जिसे "हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड", कहा जाएगा, जिसका मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जो सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(2) बोर्ड निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा होगी, और इस अधिनियम अथवा तत्धीन बनाए गए नियमों द्वारा या के अधीन किसी निर्बन्धन के अध्यधीन उसे चल अथवा अचल सम्पत्ति अर्जित, धारित, प्रशासित और हस्तांतरित करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी, और उक्त नाम से वह वाद लाएगा या उस पर वाद लाया जाएगा और उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए वह ऐसे सभी आवश्यक कार्य करेगा. जिनके लिए उसका गठन किया जाता है।

(3) बोर्ड में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबन्ध निदेशक, एक सदस्य-सचिव तथा निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) **पदेन सदस्य—**

(i) सचिव, पशुपालन विभाग, हरियाणा;

(ii) संयुक्त सचिव, पशुपालन, हरियाणा;

(iii) निदेशक, पशुपालन, हरियाणा;

(iv) संकाय अध्यक्ष, पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार;

(v) संकाय अध्यक्ष, पशु विज्ञान महाविद्यालय, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार :

परन्तु किसी पदनाम के परिवर्तन की दशा में, उस समय परिवर्तित पदनाम को धारण करने वाला व्यक्ति, पदेन सदस्य समझा जाएगा।

(ख) नामजद सदस्य—

(i) पशु प्रजनन तथा स्त्री रोग विज्ञान तथा प्रसूति विज्ञान के क्षेत्र में से पशुपालन विभाग हरियाणा के दो विशेषज्ञ;

(ii) पशुपालन तथा डेरी विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली का एक नामनिर्देशिती, जो संयुक्त आयुक्त (पशुपालन) की पदवी से नीचे का न हो;

(iii) वित्त विभाग, हरियाणा का एक अधिकारी।

(4) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक तथा सदस्य-सचिव सरकार द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर नियुक्त किए जायेंगे, जो वह उचित समझे :

परन्तु उपधारा (3) के खण्ड (क) तथा (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक या सदस्य सचिव के रूप में भी नियुक्त किए जा सकते हैं :

परन्तु यह और कि प्रबन्ध निदेशक तथा सदस्य-सचिव केवल राज्य सरकार का कोई अधिकारी ही होगा, जो संयुक्त सचिव या निदेशक, पशुपालन से नीचे की पदवी का न हो।

(5) उपधारा (3) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट सदस्य, सरकार द्वारा नामजद किए जाएंगे :

परन्तु उक्त खण्ड के उपखण्ड (ii) में निर्दिष्ट सदस्य की दशा में नामजदगी भारत सरकार के परामर्श से की जाएगी।

(6) बोर्ड के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे—

(i) हरियाणा राज्य में पशुओं के आनुवंशिकी स्टाक का सुधार करना तथा मुर्राह जरमपलाजम के संरक्षण तथा बढ़ौतरी को विशेष महत्व देकर प्रजनन क्रियाकलापों को बढ़ावा देना;

(ii) गुणवत्ता प्रजनन निवेश उत्पादन करने तथा स्वयं उत्पादन तथा आर्थिक रूप से व्यवहार्य आधार पर किसानों के घर पर प्रगतिशील प्रजनन सेवाएं प्रदान करने के लिए संस्थाओं को उन्नत करना, संगठित करना तथा प्रोत्साहन देना;

(iii) विद्यमान प्रशिक्षण सुविधाओं को आधुनिक बनाना तथा उन्नत करना तथा पशुधन उत्पादन, उत्पादों, संसाधन, संग्रहण, परिवहन, व्यापार करने तथा अनुसंधान कार्य के सभी पहलुओं पर नई प्रौद्योगिकी तथा उन्नत कौशल प्राप्त करना; तथा

(iv) ऐसे अन्य उद्देश्य, जो विहित किए जाएं।

(7) बोर्ड, पशुपालन तथा डेरी विकास क्षेत्रों से संबंधित कार्यक्रमों को समन्वित करने, योजना बनाने, संचालित करने तथा कार्यान्वित करने के लिए नोडल एजेंसी होगा।

(8) बोर्ड की शक्तियां तथा कृत्य तथा इसकी कार्य संचालन प्रक्रिया ऐसी होगी, जो विहित की जाए।

(9) बोर्ड, सरकार, केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य स्त्रोत से अनुदान, आर्थिक सहायता तथा वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है तथा बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय निकायों/किसी अन्य वित्तीय एजेंसियों से ऋण ले सकता

है तथा शुक्र/भ्रूण के विक्रय द्वारा निधि उत्पन्न कर सकता है या उत्पत्ति सम्बन्धी सामग्री जैसे कि जमा हुआ शुक्र/भ्रूण तथा जीवित प्रजनन पशु के विक्रय द्वारा निधियां प्रदान कर सकता है/उत्पन्न कर सकता है तथा सभी ऐसी प्राप्तियां निधि में जमा की जायेंगी।

(10) बोर्ड की निधि को उत्पन्न करने, रखने तथा परिचालित करने की प्रक्रिया ऐसी होगी, जो विहित की जाए।

फीस का उद्ग्रहण।

5. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तथा तत्धीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए कोई फीस ऐसी रीति में तथा ऐसी दर पर उद्गृहीत की जाएगी जो निर्यात किए गए प्रत्येक पशु के लिए विहित की जाये।

(2) उपधारा (1) के अधीन उद्गृहीत फीस पशु क्रेता द्वारा, ऐसी रीति में तथा ऐसे व्यक्तियों या ऐसे अधिकारियों को भुगतान की जायेगी, जो विहित किये जायें :

परन्तु यदि पशु का स्वामी स्वयं हरियाणा राज्य की सीमाओं के बाहर पशु का अन्तरण किसी अन्य स्थान पर करता है, तो ऐसी फीस पशु के स्वामी द्वारा, स्वयं भुगतान की जाएगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन यथाविहित फीस का भुगतान किए बिना किसी व्यक्ति द्वारा यदि कोई पशु निर्यात किया जाता है तो कोई शास्ति जो फीस से पांच गुणा तक हो सकती है, उस पर ऐसी रीति में अधिरोपित की जाएगी, जो विहित की जाये।

(4) उपधारा (1) के अधीन ऐसी उद्गृहीत फीस के बकाया उपधारा (3) के अधीन अधिरोपित शास्ति सहित भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूली योग्य होंगे।

(5) उपधारा (1) के अधीन उद्गृहीत फीस की राशि तथा उपधारा (3) के अधीन अधिरोपित शास्ति यथा विहित अवधि के भीतर पृथक् शीर्ष के अधीन निधि में जमा करवाई जाएगी।

उपकर का अधिरोपण ।

6. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तथा तत्धीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए किसी दुग्ध प्लांट की अनुज्ञप्त क्षमता पर, कोई उपकर ऐसी दर पर अधिरोपित किया जाएगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित उपकर दुग्ध प्लांट के स्वामी द्वारा ऐसी रीति में तथा ऐसे व्यक्तियों या अधिकारियों को भुगतान किया जाएगा, जो विहित किए जाएं।

(3) यदि दुग्ध प्लांट के स्वामी द्वारा, देय तिथि तक उपकर का भुगतान नहीं किया जाता है, तो कोई शास्ति, जो उपकर के पांच गुणा तक हो सकती है, उस पर ऐसी रीति में उद्गृहीत की जाएगी, जो विहित की जाए।

(4) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित उपकर के बकाया तथा उपधारा (3) के अधीन उद्गृहीत शास्ति, भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूली योग्य होंगे।

(5) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित उपकर तथा उपधारा (3) के अधीन उद्गृहीत शास्ति की राशि, यथा विहित ऐसी अवधि के भीतर, पृथक् शीर्ष के अधीन निधि में जमा की जाएगी।

निधि का उपयोग।

7. निधि में जमा की गई राशि, बोर्ड के खर्चे जिनमें बोर्ड के प्रशासनिक खर्चे भी शामिल होंगे सहित, अधिनियम के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए बोर्ड द्वारा उपयोग की जाएगी।

लेखों की संपरीक्षा।

8. सरकार द्वारा यथा विहित प्राधिकारी प्रत्येक वर्ष निधि के लेखों की संपरीक्षा करेगा।

फीस या उपकर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज।

9. (1) धारा 5 तथा 6 के अधीन फीस या उपकर जिसमें शास्ति, यदि कोई हो, शामिल है, की दशा में देय तिथि को, भुगतान नहीं किए गए हैं, तो देय भुगतान पर ब्याज, उसी व्यक्ति से जो फीस या उपकर, जिसमें शास्ति, यदि कोई है, शामिल है, के भुगतान का दायी है, ऐसी दर पर तथा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, वसूल किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन भुगतान किए जाने वाले ब्याज के बकाये भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूली योग्य होंगे।

(3) वसूली योग्य ब्याज की राशि यथा विहित ऐसी अवधि के भीतर, पृथक् शीर्ष के अधीन निधि में जमा करवाई जाएगी।

पशुओं के गमनागमन, जब्ती तथा अपराधों के प्रशमन की शर्तें।

10. (1) सरकार, हरियाणा राज्य के भीतर ऐसे पशुओं के गमनागमन पर, जो वह अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे तथा/अथवा निर्यात किए जाने वाले ऐसे पशुओं के गमनागमन पर, जो सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, शर्तें लगा सकती है।

(2) अभिरक्षक के द्वारा ऐसी शर्तों का पालन करना आबद्धकर होगा जो उपधारा (1) के अधीन विहित की गई हैं।

(3) उपधारा (1) के अधीन विहित किसी रीति से भिन्न, यदि, कोई पशु घूमते हुए पाया जाता है, तो प्राधिकारी, जो सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा पदाभिहित किया जाए, पशु को ऐसे गमनागमन के लिए अभिनियोजित सम्पत्ति सहित जब्त करेंगे :

परन्तु इस प्रकार पदाभिहित प्राधिकारी अपराध का शमन कर सकते हैं तथा प्रशमन फीस ऐसी रीति में जो विहित की जाए, प्रभारित करते हुए पशु को गमनागमन के लिए छोड़ सकते हैं। तथापि, ऐसा करने से पूर्व प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उपधारा (1) के अधीन उपबन्धों का अनुपालन किया गया है :

परन्तु यह और कि अदावाकृत या परित्यक्त पशु तथा/या अभिनियोजित सम्पत्ति की दशा में इस प्रकार पदाभिहित प्राधिकारी उनका निपटान ऐसी रीति में कर सकता है, जो विहित की जाए।

व्याख्या : अभिनियोजित सम्पत्ति में शामिल है परिवहन का कोई साधन।

अपराध तथा शास्ति।

11. कोई भी व्यक्ति जो धारा 10 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक हो सकती है या जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।

अपील।

12. इस अधिनियम या तत्धीन बनाए गए नियमों के अधीन फीस अथवा उपकर के संदर्भ में पारित प्रत्येक आदेश के विरुद्ध कोई अपील, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सरकार को हो सकेगी।

शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

13. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है कि इस अधिनियम के अधीन इसके द्वारा प्रयोज्य सभी या किन्हीं शक्तियों को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा भी प्रयोग किया जाएगा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

सद्भावपूर्वक की गई कारवाई का संरक्षण।

14. इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों या जारी किए गए किन्हीं निदेशों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के सम्बन्ध में कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी या बोर्ड के विरुद्ध नहीं हो सकेंगी।

विनियम बनाने की शक्ति।

15. बोर्ड, सरकार के पूर्व अनुमोदन से इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए ऐसे विनियम बना सकता है जो इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों से असंगत न हो।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

16. इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में या इस अधिनियम में दी गई किसी बात के कारणों से, यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों से असंगत न हो, कठिनाई को दूर कर सकती है।

नियम बनाने की शक्ति।

17. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकते हैं :-

(क) धारा 4 के अधीन बोर्ड की शक्तियां, कृत्य, कार्य संचालन की प्रक्रिया तथा निधि उत्पन्न करने, रख-रखाव तथा संचालन की प्रक्रिया;

(ख) धारा 5(1) के अधीन उद्गृहीत की जाने वाली फीस की दर, धारा 5(2) के अधीन फीस के भुगतान की रीति तथा व्यक्ति अथवा अधिकारी जिनको यह भुगतान किया जाएगा;

(ग) अवधि जिसके भीतर धारा 5(1) के अधीन उद्गृहीत की गई फीस तथा धारा 5(3) के अधीन अधिरोपित की गई शास्ति निधि में जमा करवाई जाएगी;

(घ) धारा 6(2) के अधीन उपकर के भुगतान की रीति तथा व्यक्ति या अधिकारी जिनको यह भुगतान किया जाएगा ;

(ङ) अवधि जिसके भीतर धारा 6(1) के अधीन उद्गृहीत उपकर तथा धारा 6(3) के अधीन अधिरोपित शास्ति, निधि में जमा करवाई जाएगी;

(च) निधि के लेखों की संपरीक्षा करने के लिए धारा 8 के अधीन प्राधिकारी;

(छ) फीस, उपकर तथा शास्ति के विलम्बित भुगतान पर ब्याज के भुगतान की दर तथा रीति;

(ज) 10(1) के अधीन राज्य की सीमाओं के भीतर पशुओं के गमनागमन अथवा निर्यात किए गए पशुओं के गमनागमन तथा धारा 10(3) के अधीन पशुओं की प्रशमन फीस तथा निपटान तथा/अथवा अभिनियोजित सम्पत्ति की शर्तें;

(झ) रीति जिसमें अपील की जाएगी; और

(ञ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाना है या किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम इसके बनाए जाने के बाद, यथासम्भव शीघ्र विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल चार दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र में या दो या अधिक क्रमवर्ती सत्रों को मिलाकर हो सकती है, और यदि उस सत्र की, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया हो, या उससे तुरन्त बाद के सत्र की समाप्ति से पूर्व विधान सभा सहमत हो जाती है कि नियमों का या तो उपांतरण या निष्प्रभाव होना चाहिए, तो तत्पश्चात् नियम, यथास्थिति, केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभावी हो जाएगा, किन्तु इस प्रकार किया गया ऐसा कोई उपान्तरण या निष्प्रभावन उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

एल0 एन0 मित्तल,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधायी विभाग।

PART II

LEGISLATIVE SUPPLEMENT

Notification

The 8th July, 2002

No. Leg. 11/2002.—The following Ordinance of the Governor of Haryana Promulgated under clause (1) of article 213 of the constitution of India, on the 5th July, 2002, is hereby published for general information :—

Haryana Ordinance No. 1 of 2002

THE HARYANA MURRAH BUFFALO AND OTHER MILCH ANIMALBREED (PRESERVATION AND DEVELOPMENT OF ANIMALHUSBANDRY AND DAIRY DEVELOPMENT SECTOR) AMENDMENT ORDINANCE, 2002

AN

ORDINANCE

further to amend the Haryana Murrah Buffalo and other Milch Animal Breed (Preservation and Development of Animal Husbandry and Dairy Development Sector) Act, 2001.

Promulgated by the Governor of Haryana in the Fifty-third Year of the Republic of India.

Whereas the Legislature of the State of Haryana is not in session and the Governor is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby promulgates the following Ordinance :—

1. This Ordinance may be called the Haryana Murrah Buffalo and other Milch Animal Breed (Preservation and Development of Animal Husbandary and Dairy Development Sector) Amendment Ordinance, 2002. Short title.

2. After clause (f) of section 2 of the Haryana Murrah Buffalo and other Milch Animal Breed (Preservation and Development of Animal Husbandary and Dairy Development Sector) Act. 2001 (hereinafter called the principal Act), the following clause shall be inserted, namely :— Amendment of section 2 of Haryana Act 6 of 2001.

'(ff) "lean period" means the period commencing from 1st April and

ending on 30th June of every year when milk production gets reduced due to climatic and biological reasons;'.

Amendment of section 6 of Haryana Act 6 of 2001.

3. For sub-section (1) of section 6 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(1) For the purposes of this Act and subject to the rules made thereunder, a cess not exceeding fifteen paise per litre shall be imposed on the licensed capacity of a milk plant :

Provided that during the lean period the cess at the above rate shall be imposed on the seventy-.five percent of the licensed capacity of a milk plant :

Provided further that no cess shall be levied on the day(s) when a milk plant remains closed for the reasons beyond the control of its management.".

The 5th July, 2002

PARMANAND,
GOVERNOR OF HARYANA

R.S. MADAN,
Secretary to Government, Haryana,
Legislative Department.

34511—L.R.—H.G.P., Chd.

PART I

LEGISLATIVE DEPARTMENT

Notification

The 10th October, 2002

No. Leg. 18/2002.— The following Act of the Legislature of the State of Haryana received the assent of the Governor of Haryana on the 19th September, 2002 and is hereby published for general information :—

Haryana Act No. 16 of 2002

THE HARYANA MURRAH BUFFALO AND OTHER MILCH ANIMAL BREED (PRESERVATION AND DEVELOPMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRY DEVELOPMENT SECTOR) AMENDMENT ACT, 2002

AN

ACT

further to amend the Haryana Murrah Buffalo and Other Milch Animal Breed (Preservation and Development of Animal Husbandry and Dairy Development Sector) Act, 2001.

BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Fifty-third Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Haryana Murrah Buffalo and Other Milch Animal Breed (Preservation and Development of Animal Husbandry and Dairy Development Sector) Amendment Act, 2002.

Amendment of section 2 of Haryana Act 6 of 2001

2. After clause (f) of section 2 of the Haryana Murrah Buffalo and Other Milch Animal Breed (Preservation and Development of Animal Husbandry and Dairy Development Sector) Act, 2001 (hereinafter called the principal Act), the following clause shall be inserted, namely :—

'(ff) "lean period" means the period commencing from 1st April and ending on 30th June of every year when milk production gets reduced due to climatic and biological reasons ;'.

Amendment of section 6 of Haryana Act 6 of 2001

3. For sub-section (1) of section 6 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(1) For the purposes of this Act and subject to the rules made thereunder, a cess not exceeding fifteen paise per litre shall be imposed on the licensed capacity of a milk plant :

Provided that during the lean period the cess at the above rate shall be imposed on the seventy-five percent of the licensed capacity of a milk plant :

Provided further that no cess shall be levied on the day (s) when a milk plant remains closed for the reasons beyond the control of its management .".

Repeal and saving

4. *(1)* The Haryana Murrah Buffalo and Other Milch Animal Breed (Preservation and Development of Animal Husbandry and Dairy Development Sector) Amendment Ordinance, 2002 (Haryana Ordinance No. 1 of 2002), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the principal Act, as amended by this Act.

R. S. MADAN,

Secretary to Government, Haryana,
Legislative Department.

34940 L.R. H.G.P., Chd

PART I

HARYANA GOVERNMENT

LEGISLATIVE DEPARTMENT

Notification

The 27th February, 2006

No. Leg. 15/2006.— The following Act of the Legislature of the State of Haryana received the assent of the Governor of Haryana on the 30th January, 2006, and is hereby published for general information :—

Haryana Act No. 14 of 2006

THE HARYANA MURRAH BUFFALO AND OTHER MILCH ANIMAL BREED (PRESERVATION AND DEVELOPMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRY DEVELOPMENT SECTOR) AMENDMENT ACT, 2005

AN

ACT

further to amend the Haryana Murrah Buffalo and Other Milch Animal Breed (Preservation and Development of Animal Husbandry and Dairy Development Sector) Act, 2001.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Haryana Murrah Buffalo and Other Milch Animal Breed (Preservation and Development of Animal Husbandry and Dairy Development Sector) Amendment Act, 2005.

Amendment section 2 of Haryana Act of 2001.

2. For clause (h) of section 2 of the Haryana Murrah Buffalo and Other Milch Animal Breed (Preservation and Development of Animal Husbandry and Dairy Development Sector) Act, 2001, the following clause shall be substituted

namely :—

'(h) "milk plant" means a plant owned by any person or manufacturer registered under the Milk and Milk Product Order, 1992, of the Central Government and operating within the limits of the State of Haryana but not including milk chilling centres supplying milk to the milk plants within the State of Haryana paying cess on the quantity of milk supplied by them to the said plants subject to the production of authentic proof of such payment; and'.

R. S. MADAN,
Secretary to Government, Haryana,
Legislative Department.

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 मई, 2012

संख्या लैज० 7/2012.— हरियाणा मुर्रहा बॅफॅलो ऐण्ड ॲदॅ मिल्च ऐनिमल ब्रीड (प्रेजॅवेशॅन एण्ड डिवे'लॅपमॅन्ट ऑव ऐनिमल हॅज्-बॅन्-ड्रि एण्ड डेऑर्-इ डिवे'-लॅपमॅन्ट से'क्-टॅ) ॲमेन्डमॅन्ट ऐक्ट, 2012, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 18 मई, 2012, की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रमाणिक पाठ समझा जाएगा :—

2012 का हरियाणा अधिनियम संख्या - 5

हरियाणा मुर्राह भैंस तथा अन्य दुधारू पशु नस्ल (पशु पालन तथा डेरी विकास क्षेत्र का परिरक्षण तथा परिवर्धन) संशोधन अधिनियम, 2012

हरियाणा मुर्राह भैंस तथा अन्य दुधारू पशु नस्ल (पशु पालन तथा डेरी विकास क्षेत्र का परिरक्षण तथा परिवर्धन) अधिनियम, 2001 को आगे संशोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा मुर्राह भैंस तथा अन्य दुधारू पशु नस्ल (पशु पालन तथा डेरी विकास क्षेत्र का परिरक्षण तथा परिवर्धन) संशोधन अधिनियम, 2012 कहा जा सकता है।

2001 के हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 2 का संशोधन।

2. हरियाणा मुर्राह भैंस तथा अन्य दुधारू पशु नस्ल (पशु पालन तथा डेरी विकास क्षेत्र का परिरक्षण तथा परिवर्धन) अधिनियम, 2001 की धारा 2 के खण्ड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ज) "दुग्ध प्लांट" से अभिप्राय है, केन्द्रीय सरकार के दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 या समय-समय पर इस संबंध में बनाए गए किन्हीं अन्य विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी व्यक्ति या विनिर्माता द्वारा स्वामित्वाधीन तथा हरियाणा राज्य की सीमाओं के भीतर क्रियाशील कोई प्लांट किन्तु उनमें हरियाणा राज्य के भीतर दुग्ध प्लांटों को दुग्ध की आपूर्ति करने

वाले दुग्ध द्रुतशीतन केन्द्र तथा ऐसे भुगतान के प्रामाणिक सबूत की प्रस्तुति के अध्यधीन उक्त प्लांटों को उन द्वारा आपूर्ति किए गए दुग्ध की मात्रा पर उपकर का भुगतान करने वाले, शामिल नहीं हैं; तथा किसी अनुसंधान संस्था/विश्वविद्यालय के छात्रों को अनुसंधान तथा शैक्षणिक सुविधाएं देने में लगा सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन कोई प्लांट।"।

मनजीत सिंह,
सचिव,
हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

49961–L.R.–H.G.P., Chd.